(ङ) स्वायत्त निकायों में कनिष्ठ अधिकारियों की अवर सचिव के रूप में पदोन्नति विभिन्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्वायत्त निकाय में अवर सचिव के पद का विद्यमान होना संगत भर्ती नियमों/विनियमों का प्रावधान, रिक्तियों की उपलब्धता, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा यथा मूल्यांकित उम्मीदवारों का उपयुक्तता आदि ।

---

**Counting of service rendered in Central Public Secotr Undertakings**

7076. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the hardships being faced by many employees working in Central Government and Central Autonomous organisations for not counting their service rendered in Central Public Sector Undertakings;

(b) if so, the steps taken to mitigate their hardships;

(c) whether the service rendered in an organisation for less than five years could be counted for pension without paying leave salary and pension contribution by the parent organisation where the rules of the organisation do not provide for payment of leave salary and pension contribution; and

(d) if so, whether Government have issued or propose to issue instructions in this regard ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA):** (a) No, Sir. The rules do not provide for counting of service in case of mobility of employees from a Central Public Sector Undertaking to Central Government/Central Autonomous organisations and vice-versa for the purpose of pension. The employees of the Central Public Sector Undertakings on their appointment under Central Government/Central Autonomous organisations are entitled to retirement benefits as per the rules of the Public Secotr udertaking. The qualifying service for pensionary benefits commences from the date such former employees of PSUs take up regular appointment in the Central Government/Central Autonomous organisations.

(b) to (d) Does not arise.

**जातियों/समुदायों का सत्यापन करने के लिए प्रमाण पत्र**

7077. **श्री जनार्दन यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिये अन्य पिछड़ी श्रेणियों को आरक्षण का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जातियों/समदायों का सत्यापन करने के लिये प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारियों को दिनांक 22 अक्तूबर, 1993 को अनुदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस संबंध में पुनः दिनांक 15 नवम्बर, 1993 को जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यह उपलबंध रखा गया है कि उपयुक्त प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का उपबंध रखने के क्या कारण हैं तथा क्या इस प्रकार का उपबंध अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रमाणपत्र जारी करने पर लागू है ?

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा):** (क) जी, हां । सभी मंत्रालयों विभागों को संबोधित कार्यालय ज्ञापन में जाति/समदाय प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारियों को विनिर्दिष्ट किया गया था । ये प्राधिकारी वहीं हैं जो अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये निर्धारित किये गये हैं ।